

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	चैत्र 16, बुधवार, शाके 1944-अप्रैल 6, 2022 <i>Chaitra 16, Wednesday, Saka 1944- April 6, 2022</i>	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

जयपुर, मार्च 29, 2022

संख्या एफ-7 (76) रालसा/संस्था-पी.एल.ए.गठन /2022/167 :- राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के आदेश संख्या पं.8(7) विधि-2/विरसं.(39)/2002पार्ट/103 दिनांक 23.03.2022 द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के अंतर्गत जिला मुख्यालय धौलपुर, हनुमानगढ़, चूरु, मेड़ता, प्रतापगढ़ एवं सीकर पर संस्थापित जनोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष पद पर कार्यरत निम्नलिखित अध्यक्षगणों के मनोनयन की अवधि इस संबंध में प्रभावी नियमों के अध्यक्षीन उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पूर्व हो तक के लिए बढ़ाई जाती है:-

क्र. सं.	स्वार्थ बराबरत	लोक	नियुक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति संख्या/दिनांक	आदेश	कार्यग्रहण तिथि	वर्तमान कार्यकाल की अवधि	विस्तारित कार्यकाल की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धौलपुर		श्री योगेश कुमार गुप्ता	05.07.1957	116 / 01.03.2019		07.03.2019	05.03.2022	04.07.2022
2.	हनुमानगढ़		श्री विष्णु दत्त शर्मा- द्वितीय	21.09.1957	116 / 01.03.2019		05.03.2019	04.03.2022	20.09.2022
3.	चूरु		श्री सुरेन्द्र मोहन शर्मा	10.10.1958	116 / 01.03.2019		11.03.2019	09.03.2022	09.03.2023
4.	मेड़ता		श्री सतीश कुमार व्यास	01.07.1959	116 / 01.03.2019		16.04.2019	14.04.2022	14.04.2023
5.	प्रतापगढ़		श्री योगेश कुमार शर्मा	27.08.1958	116 / 01.03.2019		08.03.2019	06.03.2022	06.03.2023
6.	सीकर		श्री अशोक कुमार व्यास	30.09.1958	116 / 01.03.2019		07.03.2019	05.03.2022	05.03.2023

उपरोक्त अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालतों को फीस व अन्य सुविधायें The Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and other persons) Rules, 2003 तथा इस पद के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश/ स्वीकृतियों के अनुरूप देय होंगी।

आज्ञा से,

दिनेश कुमार गुप्ता,

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

3

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।